**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 36**

**22.11.2011 को उत्तर के लिए**

**''देश में बाघ रिजर्वों का विस्तार''**

**36. श्री रामचन्द्र खूंटिआ:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सुनाबेदा-खरिआर वनों को बाघ रिजर्व घोषित करने वाली अधिसूचना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) अधिसूचना जारी करने में हुए विलम्ब के क्या करण हैं;

(ग) देश में बाघ रिज़र्वों/राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभयारण्यों, आदि के अलावा अन्य बाघ सघन क्षेत्रों को अधिसूचित करने तथा बृहत्तर कवर के अंतर्गत लाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) और (ख) उड़ीसा में सुनाबेदा बाघ रिजर्व के सृजन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, 'सिद्धान्त रुप में' प्रदान किया गया है । वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वर्ष 2006 में यथा संशोधित, की धारा 38v के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव को राज्य से मांगा गया है ।

(ग) और (घ) बाघ पर्यावास के लिए अनुकूल भू-दृश्यों के संबंध में भारत में बाघों, सह-परभक्षियों और शिकार पशुओंं के देश स्तरीय आकलन से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पांच नए बाघ रिजर्वों के सृजन के लिए 'सिद्धांत रुप में' अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल हैं: (i) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), (ii) रतापानी (मध्य प्रदेश), (iii) सुनाबेदा (उड़ीसा), (iv) मुकन्दरा हिल्स (दर्रा, जवाहर सागर और चंबल वन्यजीव अभयारण्यों सहित) (राजस्थान) और (v) कुद्रेमुख (कर्नाटक) । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वों के रुप में घोषित करने के लिए प्रस्तावों को प्रेषित करने हेतु राज्यों को सलाह दी गई है : (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नगजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) सत्यमंगलम (तमिलनाडु), (v) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़) और (vi) म्हदेंई अभयारण्य (गोवा) ।

**\*\*\*\***